दिनांक........8........ को पेश हो

27.8.19 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप
में तथ्य इस प्रकार हैं कि। वकील प्रार्थी ने
प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 212 R.Act पेश
कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त
खाता की है राजस्व रिकार्ड में विधिवत
रूप से बंटवारा नहीं हुआ है इसलिए
प्रार्थी को आधिकारिक अपनी जमा करवाने
में कठिनाई आती है केवल बंटवारा कर
रखा है अस्थाई निर्देश पारित की
जावे कि चक अमरसर की ख.नं. 9 की
8-07 बीघा जाव व बसी चक की ख.नं. 97
में 2-13 बीघा का हिस्सा ख.नं. 88 में 1-13 बीघा

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी... अहकाम,जो इ... हुक्म की तामी... में जारी हुए
	स्वयं चक 29 PSB के मु.नं. 49 में 3-10 बीघा नहरी में प्रार्थी के कब्जा काश्त आइन्दा व सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने व अन्य किसी प्रकार से रहन-बेचान व हस्तान्तरण करने से बाज व मामूर रहे। मुताबिक जमाबंदी चक अमरसर के खाता नं. 128 मुरब्बा 119 सम्वत 2070-73 बाबत जमाबंदी खाता सं. 81 सम्वत 2070-73 स्वयं चक 29 PSB की जमाबंदी सम्वत 2069-72 के खाता सं. 57 मुरब्बा 85 के वादग्रस्त भूमि में भीतराम वगैरह खातेदार अंकित है। वादग्रस्त सम्पत्ति को दौराने वाद रहन-बेचान किया जा सकता है। अत: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 28.10.15 को मूल वाद के निर्णय तक कायम किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर मूल वाद के संलग्न रहे। (सन्दीप कुमार) उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर	

Scanned by CamScanner